न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–79/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00234)**

1. रामजीलाल शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ए–41, विष्णुपुरी पोस्ट ऑफिस के समाने जगतपुरा, मालवीया नगर, जयपुर।
2. लोकेश शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम छारसा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. श्रीमती गीता देवी पुत्री मुरलीधर शर्मा पत्नी सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी गोपाल जी का रास्ता चौड़ा रास्ता, जयपुर।
4. श्रीमती अनिता देवी पुत्री मुरलीधर शर्मा पत्नी हरीश शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम पोस्ट बास, फतेहपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. संज्या देवी पत्नी नरसी, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम छारसा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी कल्याणगंज, बस्सी, जिला जयपुर।
2. सीताराम,
3. बाबूलाल, पुत्रान गोविन्दराम, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम छारसा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. ग्राम पंचायत छारसा जरिये सरपंच, ग्राम छारसा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. पवित्रा पुत्री नरसी, जाति ब्राहाम्ण निवासी कल्याणगंज बस्सी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

**निर्णय**

**दिनांकः 11.09.2019**

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश दिनांक 23.06.2016 (प्रकरण संख्या 9/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 136, 144, 147, 156, 157, 165, 328, 329, 330, 339, 340, 341 कुल किता 12 कुल रकबा 3.0500 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार मु. धापा देवी पत्नी औंकार, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम छारसा थी, धापा देवी की मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी थी उसके कोई पुत्र व पुत्री नही थे, इसलिये वह अपने जेठ तथा खास बहन के पुत्र (भतीजा/भांजा) मुरलीधर के पास गांव छारसा में ही निवास करती थी मुरलीधर ही उसकी देखरेख व हारी–बीमारी में दवा का काम करता था और

P.T.O.

उसकी सेवा पुत्र के समान करता था, मु. धापा देवी ने अपने जीवनकाल में उसकी सेवा से खुश होकर अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की एक वसीयत बहक मुरलीधर पुत्र गंगाराम जाति, ब्राहाम्ण निवासी छारसा के हक में दिनांक 15.08.1998 को लिखकर रूबरू गवाहान अपने हस्ताक्षर कर दिये, धापादेवी की मृत्यु दिनांक 07.05.2006 को ग्राम छारसा में हुई, धापा देवी की मृत्यु के बाद उसकी छारसा स्थित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 431 मुताबिक वसीयत के आधार पर मुरलीधर पुत्र गंगाराम जाति ब्राहाम्ण ग्राम छारसा के नाम ग्राम पंचायत छारसा द्वारा दिनांक 20.12.2006 के कोरम के समक्ष तस्दीक कर दिया, इस नामान्तरकरण के विरूद्ध संज्या देवी ने एक अपील दिनांक 24.09.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष लगभग 9 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की, तथा दोराने अपील मुरलीधर पुत्र गंगाराम की मृत्यु दिनांक 20.05.2016 को हो गई मृतक मुरलीधर के कायम मुकाम की कार्यवाही उक्त अपील में नही की गई, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने उक्त अपील पर राजस्व लोक अदालत में दिनांक 23.06.2016 को अपना निर्णय पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 431 को निरस्त कर गुणावगुण व विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को प्रतिप्रेषित कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय की जानकारी तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु जारी नोटिस जो मुरलीधर शर्मा पुत्र गंगाराम के नाम से दिनांक 17.03.2017 को प्रतिप्रेषित किया गया जो दिनांक 31.03.2017 के लिये जारी किया गया था, से हुई चूँकि मुरलीधर शर्मा की मृत्यु दिनांक 20.05.2016 को हो चुकी थी इसलिये तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष अपीलार्थी ने दिनांक 24.03.2017 को मुरलीधर व माताजी की मृत्यु होने की सूचना प्रार्थना पत्र के माध्यम से दी जिसकी जानकारी तहसीलदार द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 17.03.2017 से जानकारी होने पर दिनांक 23.03.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उसी दिन दिनांक 17.03.2017 को नकल प्राप्त हो गई नकल मिलने पर अपीलान्ट ने कानूनी सलाहकार से सलाह ली इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तहसीलदार द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 17.03.2017 व वास्तविक जानकारी दिनांक 23.03.2017 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से हुई इससे पूर्व अपीलार्थी व उसके पिता को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नही थी, उक्त विलम्ब को क्षमा करने के लिऐ अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 पत्रावली पर मौजूदा तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरित तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है क्योंकि मुरलीधर रेस्पोडेन्ट की मृत्यु दिनांक 20.05.2016 को मुकाम छारसा में हो गई थी और अपीलार्थी संज्या देवी उसकी मृत्यु के समय गांव छारसा में आयी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

थी, संज्या देवी को मुरलीधर की मृत्यु के आरम्भ से जानकारी रही है परन्तु बदनियति से मुरलीधर के कायम मुकाम की कार्यवाही नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय से मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है, जो नलिटी है और इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि प्रकरण में किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना अन्य कोई कार्यवाही नही की जा सकती है इस विधिक प्रावधान की अवहेलना कर मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि त्रुटि तो कारित की ही हैं बल्कि अपने क्षेत्राधिकार का भी गलत इस्तेमाल किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संज्या देवी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 20.12.2006 को विरूद्ध अपील दिनांक 24.09.2015 को लगभग 9 वर्ष के अन्तराल के बाद पेश की है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई संतोषजनक कारण नही है जिससे वह देरी को कण्डोन कराने की अधिकारिणी हो तथा संज्या देवी के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अनुसार भी उसे नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 11.05.2015 को हो चुकी थी जबकि उनके द्वारा अपील दिनांक 24.09.2015 को जानकारी के 4 माह बाद प्रस्तुत की गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को सरसरी तौर पर स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद मानने में अपने क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने बिना पक्षकारों को नोटिस दिये अपील को राजस्व लोक अदालत में नियत करके सुनवाई कर निर्णय करने में भारी कानूनी गलती की है लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों की सुनवाई की जाती है जहॉ सभी उभयपक्ष उपस्थित हो तथा प्रकरण लोक अदालत में रखने हेतु सहमत हो, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा निर्णय पारित करते समय केवल अपीलार्थीया ही उपस्थित थी, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 विधिक नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पक्षपात पूर्ण निर्णण है तथा निर्णय को पढ़ने मात्र से ही वह आरबीट्रेटरी एण्ड कान्ट्राटरी टू लॉ प्रतीत होता है जो इस आधार पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 व 7 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा चार भाई ओमकार, भरतमल, गंगाराम, बन्नालाल पैदा हुई जिनमें से बन्नालाल धामूराम के गोद चला गया तथा व औमकार के कोई सन्तान नही हुई, औंमकार की मृत्यु के बाद औमकार की खातेदारी भूमि को उसकी पत्नी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया जो बिना किसी औलाद के फौत हो गई, औमकार धापा की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 136, 147, 144, 156, 157, 165,

322, 323, 325, 326 कुल किता 10 रकबा 3.05 हैक्टयर वाके ग्राम छारसा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसका खाता सख्या 65 व 66 दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज था को अपीलान्ट के पूर्वज मुरलीधर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 से साजिश कर मिलकर फर्जी नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 03.11.2006 गलत रूप से बिना किसी अधिकार अपने नाम खुलवा लिया जो विधि विपरित बिना अधिकार, गलत नाजायज तरीके से दर्ज कराया गया है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तौर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 7 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत फर्जी गोदपत्र का बहाना बनाकर गलत रूप से शून्य प्रभावी दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण गलत दर्ज कर दिया गया है जो बिना किसी समक्ष न्यायालय के आदेश के बिना अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई के दर्ज किया गया जो स्वतः ही निष्प्रभावी था उन्होने कथन किया है कि ना तो कभी औंमकार ने, ना ही ही धापा देवी ने अपीलान्ट के पूर्वज मुरलीधर को कभी गोद लिया है, सभी कार्यवाही फर्जी रूप से की गई है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण निरस्तनीय ही था। उन्होने यह भी कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 431 ग्राम पंचायत छारसा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के खिलाफ व बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी जांच, बिना कानून की पालना किये मनमर्जी से तस्दीक किया गया था जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 26.05.2016 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.06.2016 दी गई थी तथा दिनांक 23.06.16 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट छारसा में पेश हुई है जबकि उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में लगाने सम्बन्धी किसी प्रकार के कोई नोटिस पक्षकारान को जारी नही किये गये है साथ ही लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरण में पक्षकारान के मध्य

संभागीय आयुक्त जयपुर

लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा या सहमति हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान का किसी प्रकार का राजीनामा अथवा सहमति नही रही है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 पारित किया गया है जो लोक अदालत की भावना के अनुरूप नही होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 20.12.2006 को बहाल किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।